जमनालाल V/J सरकार धा.212 प्र.नं. 34/19

| नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए | तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए |
|---|---|---|---|



-8-19

पत्रावली बहस हेतु पेशी में ली गई ।प्रार्थी वकील उपस्थित हुए । न्यायालय की आदेशिका दिनांक 5–8'19 के अनुसार अप्रार्थीगण 1लगायत 3 के सम्मन वाद तामील प्राप्त हुय । बावजूद तामील अप्रार्थीगण 1लगा0 3 के उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थी को खसरा नंबर 269/4 रकबा 5बीघा भूमि विधिवत ग्राम खेडलीकला तहसील स0माधोपुर में दिनांक 5–11–75 आवंटित हुई थी, प्रार्थी को आवंटन के उपरान्त उक्त भूमि का कब्जा सम्भला दिया था । तभी से प्रार्थी का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त है । प्रार्थी की भूमि के हाल बंदोबस्त के अनुसार नवीन खसरा नंबर 393/816 रकबा 1.01है0 के स्थान पर 1.12है0 बनाने चाहिए थे प्रार्थी का वर्तमान खसरा नंबर 393/816 पर कब्जाकाश्त है तथा ख0नं0 354में रकबा 0.24है0 पर कब्जा है जिस पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जेकाश्त में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है । उक्त भूमि में होकर अप्रार्थीगण जबरन सडक निर्माण करने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अन्यथा प्रार्थी को उक्त भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न होगी तथा प्रार्थी की भूमि में अप्रार्थीगण जबरन सडक निर्माण कर लेंगे तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी ,जिसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं होगा ।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

| नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रार्थी का हितनिहित होने के कारण प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति की संभावना को देखते हुये वाके ग्राम खेडलीकलां तहसील सवाई माधोपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 393/816 रकबा 0.01है0 ,ख0नं0 354 रकबा 0.24है0 के लिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है मूल वाद पत्र के निस्तारण तक प्रार्थी की भूमि में होकर सडक निर्माण नही करे तथा मौके की यथस्थिति बनाये रखे ।निर्णय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील मूल वाद पत्र के साथ हमफिता रहे । उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.11.14 15:42:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: